राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(13)नविवि/जयपुर/2016(लूज) जयपुर, दिनांक 12 MAY 2020

अधिसूचना

एकीकृत भवन विनियम 2017 के बिन्दु 14.11. में कोविड–19 के मध्यनजर सक्षम स्तर से लिए गये निर्णय अनुसार निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है "भवन निर्माण अनुज्ञा की अवधि, लीज–डीड/पट्टे में उल्लेखित भवन निर्माण अवधि या 7 वर्ष जो भी कम हो, होगी। लीज–डीड/पट्टे में उल्लेखित निर्माण अवधि के विस्तार होने पर भवन निर्माण अनुज्ञा अवधि में स्वतः ही विस्तार माना जावेगा। 7 वर्ष के बाद भी निर्माण पूर्ण नहीं होने पर आवेदन की कीमत व जांच फीस लेकर 2 वर्ष के लिए निर्माण अनुज्ञा अवधि बढायी जा सकेगी। बशर्ते चाही गई स्वीकृति में छोटे आंतरिक परिवर्तनों के अलावा फेरबदल नहीं दर्शाया हो।"

एकीकृत भवन विनियम 2017 की अनुसूची 2 में विहित भवन निर्माण संबंधी के अनुसार राशि मांग पत्र जारी होकर आवेदक को प्राप्त होने की तिथि (Social Media- एवं अन्य माध्यमों से इसकी पुष्टि पश्चात) से 60 दिवस में जमा करानी होगी। 60 दिवस में राशि जमा न होने पर अग़ले 60 दिवस में 15 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि जमा करायी जा सकेगी। ब्याज की गणना विलंब अवधि के लिए ही की जावेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल) 12/5/2020
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
7. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग,जयपुर
8. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक(एन.सी.आर)।
9. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।
10. वरिष्ठ उपशासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner